न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–50/2019–20

प्रथम पक्षः–रूपलाल यादव वगै0, ग्राम–पत्थलगडा, थाना–पत्थलगडा, जिला–चतरा।

बनाम

राज्य।

2

3

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया अंचल अधिकारी, पत्थलगडा के विविध वाद संख्या–03/2014–15 में अंचल अधिकारी के द्वारा दिनांक–26.03.2015 को पारित आदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा	मधे रकबा
नूनगांव	120	03, 04, 801		

अंचल अधिकारी के द्वारा भेजे गए अभिलेख का अवलोकन किया तथा पक्षकारों का भी लिखित कथन प्राप्त किया। अंचल अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा–नोनगांव के खाता नं0–119 से संबंधित भूमि का किस्म गैरमजरूआ खास जंगल–झाड़ी है। अंचल अधिकारी ने स्वयं अपने निष्कर्ष में उल्लेख किया है कि पक्षकारों को यह भूमि विधिवत रूप से बन्दोबस्ती नहीं की गई है। पुनः खाता नं0–120 के स्थान पर 119 में सुधार करने हेतु अनुशंसा भी किया है।

इस वाद की प्रक्रिया में राज्य की ओर से अंचल अधिकारी, पत्थलगडा भी पक्षकार हैं। मामला सरकारी भूमि का होने के वजह से वर्त्तमान अंचल अधिकारी से भी प्रतिवेदन के साथ मंतव्य की मांग किया गया। पत्रांक–395, दिनांक–01.12.2022 के माध्यम से अंचल अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन भेजा तथा प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि मामला तत्कालीन अंचल अधिकारी से जुड़ा हुआ है। इन्होंने खाता नं0–120 को गैरमजरूआ आम तथा खाता संख्या–119 को गैरमजरूआ खास जंगल–झाड़ी प्रतिवेदित किया है।

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व में भेजे गये अभिलेख तथा वर्त्तमान अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रश्नगत भूमि पर बन्दोबस्ती प्रक्रिया में संशोधन नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी के स्तर से संभव नहीं है, कारण खाता नं0–119 से संबंधित भूमि का किस्म गैरमजरूआ खास जंगल–झाड़ी है। खाता नं0–120 से संबंधित भूमि का किस्म भी गैरमजरूआ आम है, जिनकी बन्दोबस्ती हो जाना भी संशय की स्थिति उत्पन्न करता है। तत्कालीन अंचल अधिकारी ने सम्पूर्ण कागजातों का अध्ययन कर नियमसंगत तरीके से प्रस्ताव नहीं भेजा है। यदि

Scanned with OKEN Scanner

गैरमजरूआ आम भूमि पर गलत ढंग से जमाबन्दी चल रही है, तो उन्हें BLR Act की धारा 4h के तहत जमाबन्दी रद्द करने हेतु प्रस्ताव भेजनी थी, लेकिन अंचल अधिकारी ने खाता में हीं संशोधन करने हेतु अभिलेख भेजा है और वह भी जंगल–झाड़ी भूमि से संबंधित है।

अतः अंचल अधिकारी, पत्थलगडा के प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण मानकर इसे अस्वीकृत किया जाता है। मूल अभिलेख के साथ आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पत्थलगडा को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

14/6/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

14/6/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.18 15:51:09 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner